राजस्व लोक अदालत अभियान
''न्याय आपके द्वार–2018''

18 3/18 प्रस्तुत राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अन्तर्गत [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर

राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार– 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख आदेश
213/2014 प्रार्थना पत्र	13.06.2014	18.06.2018

सुधीर पिता अभय कुमार बेली नि0 शाहपुरा तह0 शाहपुरा

––– प्रार्थी

बनाम

1– भेरू पिता हजारी चमार नि0 बलाण्ड तह0 शाहपुरा

2– प्रभु पिता श्रीकिशन नायक नि0 आमली कलां तह0 शाहपुरा

3– ओमप्रकाश पिता कान्तीचन्द शर्मा नि0 गुरूजी का खेड़ा हाल विष्णु होटल के पास भीलवाड़ा

––– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की ग्राम मोतीनगर प0ह0 आमली कलां तह0 शाहपुरा की आ0न0 504/3330 रकबा 0.10 है0, आ0न0 505 रकबा 0.37 है0 कुल किता 02 रकबा 0.47 है0 स्थित है। पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजी के पड़ोसी विपक्षीगण है जिनकों पक्षकार बनाया गया है एवं उक्त विपक्षीगण आये दिन प्रार्थी से उसकी चारों सीमाओं को लेकर विवाद करते है इसलिये प्रार्थी को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने की आवश्यकता हुई। प्रार्थी अपनी आराजीयात की हंकाई करने दिनांक 25.05.2014 को गया तब विपक्षीगण ने आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद करने लगे इस कारण विवाद हेतु पैदा होकर जारी है। अतः प्रार्थना पत्र के पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की चारों सीमाओं के अन्दर की पुख्ता जानकारी प्रार्थी को करवाते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षावे एवं चारों सीमाओं पर स्थायी निशानात से पत्थरगढ़ी का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर दिनांक 21.07.2014 को विपक्षीगण 1 लगायत 2 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी 3 की ओर से दिनांक 17.11.2014 को अभिभाषक श्री त्रिलोक चन्द नोलखा ने अपना अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 21.03.2016 को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया गया । 24.10.2016 को न्याय हित मे एक और अवसर दिया गया। दिनांक 21.11.2016 को 100/– कोस्ट पर जवाब हेतु अवसर दिया गया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी विपक्षी नं0 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण दिनांक 23.01.2017 को उनका जवाब बन्द किया गया। दिनांक 30.01.2017 को विपक्षी द्वारा जवाब मय कोस्ट भुगतान किया गया। जवाब मे बताया कि प्रार्थी को उसकी आराजी की पुख्ता जानकारी करा पत्थरगढी किये जाने का आदेश नही बक्षाया जावे क्योकि जवाबदार की ओर से अदालत मे अपनी आराजीयात बाबत वाद पेश कर रखा है जो जैर कार्यवाही है। प्रकरण अन्तिम बहस के नियत किया गया। प्रकरण राजस्व लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

अभियान न्याय आपके द्वार- 2018 अटल सेवा केन्द्र आमली कला पर दिनांक 18.06.2016 को वास्ते सुनवाई हेतु रखा गया। मौके पर पक्षकारान उपस्थित नही हुये। प्रकरण समरी ट्रायल का होकर प्रकरण एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजीयात ग्राम मोतीनगर प0ह0 आमली कला तहसील शाहपुरा जमाबन्दी संवत 2068 से 71 खाता संख्या 78 आ0न0 504/3330 रकबा 0.10 है0, आ0न0 505 रकबा 0.37 है0 कुल किता 02 रकबा 0.47 है0 का प्रार्थी खातेदार दर्ज रेकार्ड है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी आदिनांक को खातेदार है तथा खातेदार को अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 128 मे पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार है। अतः प्रार्थी को उसके अधिकारों से वंचित नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

:-

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मोतीनगर पटवार हल्का आमलीकलां तहसील शाहपुरा मे स्थित ख्खाता संख्या 78 आ0न0 504/3330 रकबा 0.10 है0, आ0न0 505 रकबा 0.37 है0 कुल किता 02 रकबा 0.47 है0 भूमि की पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को 200/- कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे।

आदेश आज दिनांक 18.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार- 2018 अटल सेवा केन्द्र आमली कलां पर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 यादव)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)